रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, मई 20—मई 26, 2018, शनिवार/वैशाख 30—ज्येष्ठ 5, 1940

No. 21] NEW DELHI, MAY 20—MAY 26, 2018, SATURDAY/VAISAKHA 30—JYAISTHA 5, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 11 मई, 2018

सा.का.नि. 151.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में ज्येष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति— जहां भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में नियोजित व्यक्तियों पर यथा लागू अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ अनुवादक	63* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-7	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अन्य शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालीन संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रोन्नति: ऐसे कनिष्ठ अनुवादकों में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 के उस श्रेणी में पांच वर्ष तक की नियमित सेवा की है और जिन्होंने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित पांच दिन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंनें अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधी सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी हैं):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी—

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स मे स्तर-6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता व अन्य योग्यता रखते हों:—

आवश्यक:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी / हिन्दी, अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय के रुप में या परीक्षा के माध्यम के रुप में रहा हो; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रुप में रहा हो; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री, साथ ही डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में परीक्षा का माध्यम रहा हो; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में परीक्षा का माध्यम रहा हो; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में रहा हो या दोनों में से कोई एक परीक्षा मे माध्यम के रूप मे और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में रहा हो; और

हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों मे, जिसके अंतर्गत जिसमें भारत सरकार के उपक्रम भी सम्मिलित है, में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसमें अल्पकालीन संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसमें अल्पकालीन संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसमें अल्पकालीन संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समुह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. काडर नियंत्रक- महानिदेशक, लेखा या प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार या प्रधान निदेशक, लेखा; - अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक जो प्रशासन का भारसाधक हो; - सदस्य 3. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उपनिदेशक; - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हैं।

[फा. सं. ए-12018/4/2011-ई.जी.]

निर्मला देव, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 11th May, 2018

G.S.R. 151.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Senior Translator) Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment in the field offices of Indian Audit and Accounts Department to the post of Senior Translator, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Senior Translator) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Translator.	63*. ***(2018)*** *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion, failing which by Deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: From amongst Junior Translators in level 6 in the pay matrix with five years regular service in the grade, who have successfully completed the training of five days conducted by the Central Translation Bureau, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central or State Governments or UTs or Universities or recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; Or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 6 in the pay matrix; and (b) possessing the educational qualifications and other qualifications as under:

Essential:

Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

OR

Master's Degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

OR

Master’s Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;

OR

Master’s degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;

OR

Master’s degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level;

AND

Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or three years’ experience of translation work from Hindi to English and vice versa in a Central or State Government office, including Government of India Undertaking.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

The Maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group ‘B’ Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Cadre Controller- Director General of Audit or Principal Accountant General or Accountant General or Principal Director of Audit -Chairperson; 2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director in charge of Administration group -Member; 3. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director -Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/4/2011-E.G.]

NIRMALA DEV, Dy. Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

सा.का.नि. 152.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्यालय स्थापना समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 2000 को, जहां तक इसका संबंध ऑफसेट मशीनमैन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में ऑफसेट मशीनमैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, ऑफसेट मशीनमैन, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम 2018 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विर्निदिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** — भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** — जहां केंन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ऑफसेट मशीनमैन	2* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—5 (रू0 29200—92300)।	चयन	18 और 25 वर्ष के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1** : आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की

					गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । **टिप्पण 2 :—** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं पास या समतुल्य; (ii) मान्यताप्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी (ऑफसेट) में डिप्लोमा; (iii) मान्यताप्राप्त संस्थान/ संगठन से ऑफसेट मशीन पर एकल और बहुरंग कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण :—** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हताएं : नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नतिः** अकादमी के मशीन प्रचालक (ज्येष्ठ), जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (रू. 19900–63200) के स्तर–2 में इस ग्रेड में तेरह वर्ष की नियमित सेवा की हो । **प्रतिनियुक्तिः** केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के ऐसे अधिकारी; (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (रू. 25500–81100) के स्तर–4 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षिक अर्हताएं रखता हो । **टिप्पण 1 :—** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत

उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।				केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :—** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगें : 1. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी – अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशा.), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी – सदस्य 3. उप निदेशक प्रभारी रीप्रोग्राफिक यूनिट, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी – सदस्य **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगें :** 1. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी – अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशा.), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी – सदस्य 3. उप निदेशक प्रभारी रीप्रोग्राफिक यूनिट, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी – सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. टी–21011/3/2016–अकादमी डेस्क]

सैयद इमरान अहमद, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 18th May, 2018

G.S.R. 152 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in the supersession of the Lal Bahadhur Shastri National Academy of Administration (Office Establishment Group ‘C’ and ‘D’ posts) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of Offset Machineman, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Offset Machineman in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Offset Machineman, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—** The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc. —**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications. —** No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. —** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. —** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Service persons and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Offset Machineman	2* (2018) *Subject to variation depended on work load.	General Central Service Group 'C' non-Gazetted non-Ministerial.	Level – 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Selection.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in the case of General Candidates and upto 45 years in case of candidates belongs to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1. —** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2. —** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the

					crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: (i) 12th Pass or equivalent from a recognised Board; (ii) Diploma in Printing Technology (Offset) from a recognised institution; (iii) two years experience on Offset Machine doing single and multi color work from a recognised Institute or Organisation. **Note: —** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age: No Educational qualifications: No.	Two years for direct recruits only.	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Machine Operator (Senior) in Level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix in the Academy with thirteen years regular service in the grade. **Deputation:** Officers of the Central or State Government or Public Sector Undertakings; (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the Level 4 in the Pay Matrix (Rs.25500-81100) and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in Column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exits, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of: — 1. Joint Director, Lal Bahadhur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie - Chairman 2. Deputy Director (Admn), Lal Bahadhur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie - Member 3. Deputy Director incharge of Reprographic Unit, Lal Bahadhur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie - Member. **Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of: —** 1. Joint Director, Lal Bahadhur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie - Chairman 2. Deputy Director (Admn), Lal Bahadhur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie - Member 3. Deputy Director incharge of Reprographic Unit, Lal Bahadhur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie - Member.	Not applicable.

[F.No.T-21011/3/2016-Academy Desk]

SYED IMRAN AHMED, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 21 मई, 2018

सा.का.नि. 153.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में बहु कार्य कर्मचारी वृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण विभाग, बहुकार्य कर्मचारी वृन्द (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रारंभिक गठनः** (1) ऐसे कार्मिक जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में खलासी/दफादार, गार्ड, माली, सफाईवाला, दफ्तरी, जमादार, मैप स्टोर कीपर, बुक बाइन्डर, हेड बुक बाइंडर, पैकर, सहायक हेड पैकर, हेड पैकर, कम्पाउन्डर, मैप माऊन्टर के पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, उन्हें इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त समझा जाएगा।

(2) कार्मिकों की इन नियमों के लागू होने से तत्काल पहले की नियमित लगातार सेवा अवधि की गणना परिवीक्षा की अवधि, सेवा में वरिश्ठता, पदोन्नति हेतु अर्ह सेवा, स्थायीकरण तथा पें ान हेतु की जाएगी।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में स्तर :** पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा तत्संबंध में संगत वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह उपाबद्ध होगा, जैसा कि इन नियमों के साथ अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिश्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि—** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता—** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति—** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु कार्य कर्मचारी वृन्द	2600* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सामान्य सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर -I (रू 18000-56900/-)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच **टिप्पणः-** (1) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार	मैट्रिक्यूलेशन उत्तीर्ण या आईटीआई पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या समतुल्य

					द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण:—** (2) रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण: दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूर्ण होना सम्मिलित होगा।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः— 1. उप महासर्वेक्षक महासर्वेक्षक कार्यालय - अध्यक्ष 2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग से भिन्न किसी कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 3. सहायक महासर्वेक्षक महासर्वेक्षक कार्यालय - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एसएम/02/04/2017]

नीलम, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 21st May , 2018

G.S.R. 153.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Survey of India, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Survey of India, Multi-Tasking Staff (Group 'C') Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.– (1) The personnel holding the posts of Khalasi/Daffadar, Guard, Mali, Safaiwala, Daftary, Jemadar, Map Store Keeper, Book Binder, Head Book Binder, Packer, Assistant Head Packer, Head Packer, Compounder, Map Mounter in the Survey of India under Department of Science and Technology before commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel referred above immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service of promotion, confirmation and pension in the service.

3. Number of post, classification, level in pay matrix.– The number of post, its classification, level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff.	2600* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 1 (18000-56900/-)	Not applicable.	Between 18 and 25 years. **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and

					Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Union Territory of Lakshadweep). **Note 2 :** In case the recruitment is through the Employment Exchange, crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancy to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Matriculation pass or ITI course pass or equivalent.	Not applicable	Two years. **Note:** The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of at least two weeks' duration	By direct recruitment.	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office - Chairman; (2) One Group 'A' Officer from the office other than the Survey of India - Member; (3) Assistant Surveyor General, Surveyor General's Office - Member.	Not applicable.

[F.No. SM/02/04/2017]

NEELAM, Under Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली , 16 मई, 2018

सा.का.नि. 154.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं, नक्शानवीश श्रेणी- III भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें उस अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में नक्शानवीश श्रेणी-III के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे सहायक तकनीकी सेवाएं, नक्शानवीश श्रेणी- III समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नक्शानवीश श्रेणी III	7 * (2018) 40 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रूपये)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(6)
18-25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबद्ध शाखा * में डिप्लोमा या किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से सुसंगत शाखा में नक्शानवीशी में प्रमाणपत्र । **वांछनीय** : सरकारी या कानूनी / स्वायत्त संगठन या लोक सेवा उपक्रम या विश्वविद्यालय या किसी रजिस्ट्रीकृत संगठन में संबद्ध शाखा या क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव । * भर्ती करते समय यथार्थ शाखा दर्शित किया जाएगा । **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबध्द किए जाए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थीयों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति और पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1 अपर निदेशक / वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —अध्यक्ष 2 वैज्ञानिक 'डी', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य 3 केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. –12018/42/2017-स्था.-II]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 16th May, 2018

G.S.R. 154.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services Draftsman Grade-III, Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Draftsman Grade-III in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services, Draftsman Grade-III, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—** The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Draftsman Grade-III.	7* (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 4 in pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential :** Diploma in concerned discipline * from a recognised Institute or Certificate in Draftsmanship in the relevant discipline from an Industrial Training Institute. Desirable : One year experience in the concerned discipline or area in an organization of the Government or Statutory/ Autonomous Organisation or Public Sector Undertaking or University or an Organization registered. * The exact discipline shall be indicated at the time of recruitment. **Note 1 :** The qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officer of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group `C' Departmental Promotion and Confirmation Committee, consisting of:- 1. Additional Director/ Scientist 'E'', Central Water and Power Research Station, Pune -Chairman; 2. Scientist 'D', Central Water and Power Research Station, Pune –Member; 3. Group 'A' officer from any other Ministry or Department of the Central Government – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/42/2017-E.II]

S. K. KATARIA, Under Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.05.31 18:04:05 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.